न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
64 / 222	दावा 88 RTA	29.04.2022	30.08.2022

परमेश्वरी देवी पत्नी श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी भैरूसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री रमेश राहड़
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि वादिया गांव भैरूसर तहसील व जिला चूरू में रिहायश करती है । वादिया के स्वयं के नाम से खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि रोही भैरूसर तहसील व जिला चूरू में चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 649/328 तादादी 0.1265 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भैरूसर, पटवार हल्का इन्द्रपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दुधवा खारा तहसील व जिला चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी की एकल खातेदारी कृषि भूमि है। वादीया की खातेदारी जिसके वर्तमान खाता संख्या 132 व पुराना खाता संख्या 135 है, जिसमें वादीया एकल खतेदार है, वादीया का नाम जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में अंकित है, मुलाहिजा हेतु जमाबंदी संलग्न है।

प्रार्थीया की उपरोक्त कृषि भूमि में नाम पूर्व से मेशा पत्नी बीरबलराम जाति जाट अंकित चला आ रहा है, जिसमें वादिया का नाम गलत अंकित है, जबकि वादीया का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेज के अनुसार परमेश्वरी देवी पत्नी बीरबलराम है। वादीया कम पढी लिखी होने के कारण अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक में गई, तो वादीया की खातेदारी में व अन्य दस्तावेज में नाम की भिन्नता होने पर वादीया को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से वंचित चली आ रही है। वादीया की कृषि भूमि का मुख्य ... करवाने गई तो उन्होंने नाम में

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

भिन्नता होना बताया, इस कारण वादीया के लिय यह आवश्यक हो गया कि वादीया श्रीमानजी के समक्ष चाराजोई करें।

वादीया का नाम कृषि भूमि में दर्ज करवाते समय गलत रूप से वादीया का नाम मेशा पत्नी बीरबल राम अंकित हो गया, जबकि वादीया का नाम परमेश्वरी देवी पत्नी बीरबलराम है। वादीया को परिवार व रिश्तेदारी में मेशा के नाम से पुकारा जाता था, जिस कारण उनका घरेलु नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गया । राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त नहीं होने के कारण वादीया अपनी कृषि भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है, जिस कारण उक्त संशोधन करवाये जाने हेतु यह दावा पेश किया जा रहा है।

वादीया का नाम समस्त दस्तावेजां में परमेश्वरी पत्नी बीरबल राम अंकित है । प्रशासनिक कार्यालयों के बार–बार चक्कर लगाये तथा पटवार हल्का से सम्पर्क किया गया, केवल मात्र आश्वासन दिया गया नाम दुरूस्त नहीं किया गया, वादीया द्वारा पुनः सम्पर्क करने पर कहा गया कि उक्त सशोधन हेतु श्रीमानजी के न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने पर ही नाम संशोधन होगा।

वादीया उक्त कृषि भूमि में खातेदार होने से उसे दावा पेश करने का अधिकार प्राप्त है, उक्त नाम संशोधन से किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं होगी, क्यों कि वादीया अकेली खातेदार है।

वादी ने दिनांक 25.04.2022 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होंने नाम में सशोधन नहीं करने व श्रीमानजी के यहा दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है।

वाद गत कृषि भूमि रोही भैरूसर तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके सम्बंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्द मियाद पेश है।

अतः वादीया का वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावें:–

(क)कृषि भूमि खसरा नम्बर 649/328 तादादी 0.1265 हैक्टेयर वाके रोही भैरूसर, पटवार हल्का इन्द्रपुरा, भू. अभि.नि. क्षेत्र दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.) में खातेदार मेशा पत्नी बीरबल राम की जगह परमेश्वरी दवी संशोधित किये जाने का आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष हितकर वादीया हो या हो जावे, वो भी वादीया को प्रदान फरमाया जावें।

वादीया की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की [illegible] समन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैराकार राज उप[illegible] से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसे प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया [illegible] वादी ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

बयान दिये जिन्हे लेखबद्ध कर बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज ने साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन किया इसलिए वकील वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि उक्त वादगत कृषि भूमि में वादीया का नाम मेशा पत्नी बीरबलराम अंकित है वादीया को परिवार व रिश्तेदारी में मेशा के नाम से पुकारा जाता था जिस कारण वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मेशा अंकित हो गया जबकि वादीया का वास्तविक नाम परमेश्वरी दवी है व समस्त दस्तावेजों में परमेश्वरी देवी अंकित है। अन्य दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता होने से वादीया को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि दावा वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मशा पत्नी बीरबल राम के स्थान पर परमेश्वरी देवी पत्नी बीरबल राम अंकित किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील वादीया की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबंदी खसरा नम्बर 649/328 वाके रोही भैंरूसर तहसील व जिला चूरू में वादीया का नाम मेशा पत्नी बीरबलराम अंकित है। वादीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड आदि में वादीया का नाम परमेश्वरी देवी अंकित है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा व फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का इन्द्रपुरा में मेशा व परमेश्वरी देवी दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन, वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र वादीया व ग्रामीण, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा फर्दमौका रिपोर्ट पटवार हल्का इन्द्रपुरा रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का इन्द्रपुरा, रिपोर्ट भू.अ.नि. दूधवाखारा व अभिशंसा तहसीलदार चूरू के आधार पर दावा वादीया स्वीकार किया जाकर जमाबंदी कृषि भूमि खसरा नम्बर 649/328 तादादी 0.1265 हैक्टेयर वाके रोही भैरूसर, पटवार हल्का इन्द्रपुरा, भू. अभि.नि. क्षेत्र दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.) में अंकित मेशा पत्नी बीरबल राम की जगह परमेश्वरी देवी पत्नी बीरबल राम नाम किये की घोषणा की जाती है।

तहसीलदार, चूरू को यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। अगर वादीया के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादीया ने नाम दुरूस्त करवाने में कोई तथ्य छुपाया हो तो वादीया स्वयं जिम्मेवार होगा। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
64/222	दावा 88 RTA	29.04.2022	30.08.2022

परमेश्वरी देवी पत्नी श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी भैरूसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.

मुकदमा नं. 64/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रमेश राहड़ अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीया स्वीकार किया जाकर जमाबंदी कृषि भूमि खसरा नम्बर 649/328 तादादी 0.1265हैक्टेयर वाके रोही भैरूसर, पटवार हल्का इन्द्रपुरा, भू. अभि.नि. क्षेत्र दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.) में अंकित मेशा पत्नी बीरबल राम की जगह परमेश्वरी देवी पत्नी बीरबल राम नाम किये की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू को यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। अगर वादीया के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादीया ने नाम दुरूस्त करवाने में कोई तथ्य छुपाया हो तो वादीया स्वयं जिम्मेवार होगी।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30 माह अगस्त सन् 2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू